न्यायालय– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, तह. पाटन
जिला–जबलपुर (म0प्र0)
(समक्षः मयूरी गुप्ता)

Registration No.	**RCSA/51/2021**
Filing No.	**RCSA/92/2021**
C.N.R. No.	**MP 2006-000649-2021**
Registration Date	**08-03-2021**

1. मनोज कुमार पटेल पिता मुन्नाल लाल पटेल, उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम छितुरहा तहसील पाटन, जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.

.........**वादी**

विरुद्ध

1. रोहित कुमार दुबे पिता शम्भूदयाल दुबे, उम्र 45 वर्ष निवासी म.नं. 2906/9 तुलसी नगर चेरीताल वार्ड जबलुपर, तहसील व जिला जबलपुर म.प्र।
2. म.प्र. शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.।

..........**प्रतिवादीगण**

वादी द्वारा श्री आर.पी.खंपरिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा श्री कैलाश चौरसिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 2 एकपक्षीय।

:::: निर्णय ::::

(आज दिनांक–02.07.2026 को घोषित)

01. यह वादी द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त संपति मौजा छितुरहा नंबर 56 प.ह.नं. मादों रा.नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ.ब.स.द.** भाग जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया है, **(जिसे पश्चात में वादग्रस्त संपत्ति से संबोधित किया जायेगा।)** स्वत्व, आधिपत्य एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादग्रस्त जमीन कृषि भूमि खसरा नं. 252 रकवा 0.40 हे. पर वादी का स्वत्व है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा तरफ प्रतिवादी रोहित की भूमि 251/2 रकवा 0.800 हे. स्थित है। विवाद सिर्फ इतना है, वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा में सड़क है या वादग्रस्त भूमि के दक्षिण पूर्व दिशा में सड़क का कोना रास्ते के रूप में है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त **खसरा नं. 252 पुराना खसरा नं. 271/2 रकवा 0.40 हे. वादी** के **पिता स्व. मुन्नालाल** के द्वारा **परमलाल** से **पंजीकृत विकय पत्र दिनांक24.05.1978** को कय किया था। जिसकी चतुरसीमा में **दक्षिण दिशा** में खुशीराम का खेत और आनंदी के खेत से लगकर कय किया था। कय कर कब्जा प्राप्त किया था और 18 वर्ष पश्चात् **दिनांक 25.04.1996** को **मुन्नालाल** के द्वारा वादग्रस्त भूमि उसी स्थिति में अपने **भाई सत्य प्रकाश** को **विकय** कर दी थी जो पश्चात् में पारिवारिक बटवारें के रूप में पुनः उनके स्व.पिता **मुन्नालाल** को प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात् स्व. मुन्नालाल की मृत्यु के पश्चात् **वादी मनोज** को प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि के **मूल खसरा नं. 271** के **उत्तर** दिशा की तरफ **परमलाल** की जो भूमि थी, **परमलाल** की मृत्यु के पश्चात् उसकी **पत्नि मुन्नी बाई** ने **दिनांक 09.07.1990** को **खसरा नं. 271/1** में से **रकवा 0.800** विकय कर दिया, जो पश्चात् में **खसरा नं. 271/2** हुआ

और **नया खसरा नं. 251/2** बना। मुल्ली बाई ने **दिनांक 02.06.2016** को उक्त क्रयशुदा भूमि **प्रतिवादी रोहित** को विक्रय कर दिया।

3.1 वादी का आगे कहना है कि प्रतिवादी रोहित के द्वारा **दिनांक 07.02.2021** को राजस्व प्रकरण क्रमांक 7/अ–12/2020–21 के माध्यम से सीमांकन कराया और उक्त सीमांकन तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 रोहित के प्रभाव में आकर किया और यह पाया कि सीमांकन में प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर **0.16 हे.** है और प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम से धारित खसरा नं. 251/2 के अंश रकवा **0.13 हे.** पर **लखन लाल** का प्रतिकूल कब्जा है जो वादी का भाई है। जबकि वादी अपने स्वत्व की भूमि पर कब्जे में है और प्रतिवादी अपने स्वत्व की भूमि पर कब्जे में है। राजस्व निरीक्षक ने जो नजरी नक्शा तैयार किया है उक्त नजरी नक्शे में लगकर पाटन कंटगी सड़क से लगकर अंश **रकवा 0. 13 हे.** भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि माना है जबकि उक्त भूमि वादी की है और राजस्व निरीक्षक के द्वारा अवैधानिक सीमांकन किया गया है। प्रतिवादी उक्त सीमांकन का सहारा लेकर वादी की भूमि पर कब्जा करना चाह रहा है। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 का वादग्रस्त भूमि संलग्न नजरी नक्शे के अ, ब, स, द भाग पर कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नही है।

3.2 वादी को प्रथम बार वादकारण तब उत्पन्न हुआ जब **दिनांक 07.02.2021** को सीमांकन कराया गया और प्रतिवादी क्रमांक 01 ने सीमांकन की आड़ में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। वादी ने अपने वाद का मूल्यांकन स्वत्व एवं घोषणा हेतु 1000/– रूपए एवं वादग्रस्त भूमि की लगान 2.5 पैसे के 20 गुणा 50/– रूपए एवं स्थायी निषेधाज्ञा 200/– रूपए कुल 1250/– रूपए न्यायशुल्क अदा किया है। वादी ने अपने अनुतोष में निवेदन किया है कि उसका वादग्रस्त भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शे में अ, ब, स तथा द भाग पर लाल स्याही से दर्शित किया है, स्वत्वधारी

एवं आधिपत्य धारी घोषित करने एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने बावत् प्रस्तुत किया है।

04. प्रतिवादी क्रमांक 01 का जबाव स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी को वादी के स्वत्व से कोई सरोकार नही है। किंतु वादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शा पूर्णतः काल्पनिक नक्शा है। प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि **खसरा नं. 252** अर्थात वादी की भूमि प्रवितादी क्रमांक 01 के भूमि के दक्षिण में स्थित है उनका कहना है कि विक्रय पत्र में उल्लेखित नक्शा सांकेतिक होता है यर्थात नक्शा एवं सीमा राजस्व अभिलेख के अनुसार सही मानी जाती है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का कहना है कि **दिनांक 20.10.2020** को वादी के भाई लखनलाल के द्वारा प्रतिवादी को उसके हिस्से की भूमि पर बुआई करने से रोका गया और कहा कि वह उक्त भूमि पर मकान बनाएगा। जिस पर प्रतिवादी के द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस ने उनको सलाह दी ''आप अपनी भूमि का सीमांकन करा ले'' पुलिस की सलाह पर प्रतिवादी के द्वारा सीमांकन का आवेदन दिया गया। सीमांकन करने पर पाया गया कि नक्शे अनुसार वादी की भूमि पर प्रतिवादी का **0.13 हे.** एवं प्रतिवादी की भूमि पर वादी का **0.16 हे.** पाया गया।

4.1 प्रतिवादी का कहना है, कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी के स्वत्व की भूमि का जो कब्जा पाया गया, उसमें वादी के भाई **लखनलाल** का प्रतिकूल कब्जा पाया गया। जैसे ही प्रतिवादी को ज्ञात हुआ कि वादी का उसकी भूमि पर 0.16 हे. निकल रहा है तो उसने वादी के पक्ष में कब्जा छोड़ दिया। इस प्रकार अब वर्तमान में वादी की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा नही है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के 0.13 हे. पर लखनलाल जो वादी का भाई है, का कब्जा पाया गया था जिसे नायब तहसीलदार पाटन के द्वारा **धारा 250 म.प्र. भू राजस्व संहिता** की कार्यवाही करते हुए हटा दिया गया।

4.2 प्रतिवादी का कहना है, कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा नजरी नक्शा नही बल्कि राजस्व अभिलेख के मूल नक्शे के अनुसार माप किया गया था और कब्जे की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए नक्शा फील्ड तैयार की गई। वादी **खसरा नं. 252 रकवा 0.40 हे.** पर भू अभिलेख के नक्शे के अनुसार काबिज है इसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रतिवादी कमांक 01 के द्वारा नही किया जा रहा है। वादी की भूमि खसरा नं. 252 प्रातिवादी की भूम के दक्षिण दिशा में स्थित है और वादी की भूमि का दक्षिण पूर्व कोना पाटन कंटगी मार्ग से लगा हुआ है जिस पर वह आवागमन करता है और करता रहेगा। अतः प्रतिवादी के द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी का वाद 20000/– रूपए हर्जानें के साथ निरस्त किया जाए।

05. प्रकरण में **प्रतिवादी कमांक 02** म.प्र.शासन है जो कि औपचारिक पक्षकार है जिनके विरूद्ध वादी ने कोई सहायता नही चाही है। प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 02 को पर्याप्त तामीली के पश्चात् एकपक्षीय घोषित किया गया है।

06. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के अभिवचन तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनके समक्ष विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :–

क.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या वादी मौजा छितुरहा, प.ह.नं. मादों रा.नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ.ब.स.द.** से दर्शित किया गया है, (वादग्रस्त भूमि) का स्वत्वाधिकारी है ?	**नासाबित**

2.	क्या वादी वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी है ?	**नासाबित**
3.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी के उक्त आधिपत्य में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	**नासाबित**
4.	सहायता एवं वादव्यय?	**पैरा क. 36 के अनुसार**

–:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार ::–

07. वादी ने अपने मामलें को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वंय की **मनोज कुमार (वा.सा.01)** के रूप में एवं समर्थन साक्षी **अवध बिहारी (वा.सा.02)**, **लखनलाल पटेल (वा.सा.03)** की मौखिक साक्ष्य अंकित कराई है एवं दस्तावेजी साक्षियों के रूप में वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1984–95 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.01**, वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1984–95 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.02**, वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1984–95 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.03**, वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1984–95 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.04**, वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1958–59 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.05**, रिनंबरिंग सूची दिनांक 10.03.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.06**, सूचना केन्द्र से प्राप्त वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 1920–21 की प्रति **प्र.पी.07**, सूचना केन्द्र से प्राप्त वादग्रस्त भूमि का नक्शा वर्ष 2020–21 की प्रति **प्र.पी.08**, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1996 की मूल प्रति **प्र.पी.09**, सूचना केन्द्र से प्राप्त खसरा वर्ष 2020–21 की प्रति **प्र.पी.10**, सूचना केन्द्र से प्राप्त खसरा वर्ष 2020–2021 की प्रति **प्र.पी.11,** सूचना केन्द्र से प्राप्त खसरा वर्ष 2020–2021 की प्रति **प्र.पी.12** प्रस्तुत किए है।

08. वादी के द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में तहसीलदार पाटन के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7–अ–12/2020–21 में आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.13**, पंचनामा दिनांक 07.02.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.14**, तहसीलदार पाटन के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.15**, तहसीलदार पाटन के समक्ष प्रस्तुत नक्शा फील्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.16**, तहसीलदार पाटन के समक्ष प्रस्तुत नक्शा फील्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.17**, तहसीलदार पाटन के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन आवेदन दिनांक 20.10.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.18**, अपर कलेक्टर ग्रामीण जिला जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.19**, सूचना केन्द्र से प्राप्त खसरा वर्ष 2022–23 की प्रति **प्र.पी.20**, सूचना केन्द्र से प्राप्त खसरा वर्ष 2022–23 की प्रति **प्र.पी.21**, सूचना केन्द्र से प्राप्त खसरा वर्ष 2022–23 की प्रति **प्र.पी.22**, विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.23**, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.24सी**, विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1978 **प्र.पी.25सी** प्रस्तुत किया गया है।

09. प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी **रोहित कुमार दुबे (प्र.सा.01)** स्वंय की मौखिक साक्ष्य अंकित कराई है एवं दस्तावेजी साक्षियों के रूप में पुलिस थाना पाटन में की गई शिकायत **प्र.डी.01**, क्रय की गई जमीन का विक्रय पत्र **प्र.डी.02** प्रस्तुत किया है।

10. सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि, प्रतिवादी की भूमि एवं वादग्रस्त भूमि के चतुरसीमा में लगी भूमि की पुराने एवं नए खसरो वर्णन इस प्रकार है :–

पुराना खसरा नं.	नया खसरा नं.
271/1	251
271/2	252

270	253
272	357
290	358

11. उक्त साबित नंबर एंव नए नंबर बावत वादी के द्वारा रिनंबरिंग सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.06** प्रस्तुत किया है। जिसका कोई खंडन प्रतिवादी के द्वारा नही किया गया है। अतः म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 17 के अनुसार उक्त दस्तावेज के सही होने की उपधारित की जा रही है।

—:: वादप्रश्न क्रमांक 1 ::—

12. इस वाद प्रश्न को साबित करने का भार वादी पर है, इस संबंध में **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 101** अवलोकनीय है जिसके अनुसार ''जो कि न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है''। इस प्रकार **धारा 102** के अनुसार ''किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी की ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जावें''। अतः यह साबित करने का भार वादी पर है कि वादग्रस्त संपत्ति मौजा छितुरहा, प.ह.नं. मादों रा.नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ. ब. स. द.** से दर्शित किया गया है, पर उनका स्वत्व एवं आधिपत्य है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा उस पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

13. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 252 रकवा 0.40 हे. कृषि भूमि जिसे वाद पत्र में सलग्न नजरी नक्शे में अ, ब, स, द भाग से दर्शाया है पर वादी का स्वत्व है। इस संबंध में कोई विवाद नही है। प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी भूमि के **दक्षिण दिशा** तरफ **खसरा नं. 252 रकवा 0.40 हे.** पर वादी का आधिपत्य है और उसके स्वत्व से उसको कोई सरोकार नही है। विवाद यह है कि नजरी नक्शे अ, ब, स, द भाग पर वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य है या नही। अर्थात खसरे एवं रकवे का विवाद नही है। विवाद यह है कि वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति क्या है।

14. इस संबंध में **वादी साक्षी मनोज कुमार पटेल (वा.सा.1)** द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 रोहित कुमार दुबे को पहचानता है। वह उसका पड़ोसी कृषक है। वादग्रस्त भूमि ग्राम छितुरहा की हैं वादग्रस्त भूमि का ख.नं. 252/2 एवं रकवा 1 एकड़ है। उक्त वादग्रस्त भूमि के **पूर्व दिशा** में कटंगी पाटन रोड, **पश्चिम दिशा** में अनंदी लाल का खेत, **उत्तर दिशा** में मुन्नी बाई का खेत जिसका ख.नं. 151/2 है एवं **दक्षिण दिशा** की ओर रामजी का खेत जिसका ख.नं. 235 स्थित है। वादग्रस्त भूमि उसे बड़े पिताजी सत्य प्रकाश पटेल से बंटवारे में प्राप्त हुई थी और सत्य प्रकाश पटेल ने वादग्रस्त भूमि को मुन्नालाल पटेल से खरीदा था। वादग्रस्त भूमि उसके कब्जे में 15 वर्षो से है। वह वादग्रस्त भूमि पर कृषि फसलें बोता काटता है। उसे लभगग एक साल पहले इस बात की जानकारी मिली कि रोहित कुमार दुबे ने वादग्रस्त भूमि में से आधा एकड़ भूमि अपने नाम करा ली हैं। उसे विवाद के संबंध में जानकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर एक वर्ष पहले रोहित कुमार दुबे खंबा गड़ाने गया था, लेकिन उसने खंबे गाड़ने नहीं दिये थे। वह न्यायालय के माध्यम से अपनी चौहद्दी की कृषि भूमि वापस प्राप्त करना चाहता है।

15. साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि जब सीमांकन हुआ था उस समय वह मौजूद नही था। सीमांकन के समय

लखनलाल भी मौजूद नही था। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कंटगी रोड से उसकी जमीन पर आने जाने के लिए सीधा रास्ता है। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्हे इस रास्ते से आने जाने के लिए प्रतिवादी रोहित ने कभी नही रोका। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके पूर्वजो ने जो खेत खरीदा था उसकी चतुरसीमा खुशीराम के खेत एवं आनंदी के खेत से लगकर थी स्वतः कहा कि रोड से लगकर थी। उनके खेत से आनंदी का खेत **पश्चिम दिशा** में है और खुशीराम का खेत **दक्षिण दिशा** में है। प्र.पी.08 के नक्शे को प्रतिवादी द्वारा साक्षी को दिखाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उक्त नक्शा गलत है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया उसने गलत नक्शे को सुधरवाने के लिए किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की।

16. इस संबंध में **वादी साक्षी अवध बिहारी गौंड़ (वा.सा.2)** द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि वह उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर जोन नं. 01 में सहायक ग्रेड–2 के पद पर पदस्थ था। न्यायालय में अपने साथ मूल अभिलेख लेकर उपस्थित हुआ है। मूल **विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1990** का मिलान प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि से कराया गया। मूल अभिलेख को **प्र.पी.01** अंकित किया गया तथा प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.सी.–01** से अंकित किया गया और मूल **विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1978** का मिलान प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 24.05.1978 की प्रमाणित प्रतिलिपि से कराया गया। मूल अभिलेख को **प्र.पी.02** अंकित किया किया गया तथा प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.सी–02** से अंकित किया गया।

17. इस संबंध में वादी साक्षी **लखनलाल पटेल (वा.सा.3)** द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि वादी मनोज कुमार पटेल उसका भाई है। वह रोहित कुमार दुबे को पहचानता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम छितुरहा की है जिसका ख.नं. 252 रकवा 0.40 हे. है। जो

वादी मनोज कुमार पटेल के नाम पर दर्ज है। जिस पर मनोज कुमार पटेल का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पारिवारिक बटवांरे में पिता जी के नाम से मनोज कुमार पटेल के नाम पर आई है। उसके पिता का नाम मुन्ना लाल पटेल है। मुन्ना लाल पटेल को अपने पारिवारिक बटवांरे में सत्यप्रकाश पटेल के नाम से आई है। सत्य प्रकाश पटेल ने मुन्नालाल पिता लेखराम पटेल से वर्ष 1996 में क्रय की थी। मुन्ना लाल पिता लेखराम पटेल ने वर्ष 1978 में परमलाल निवासी ग्राम सकरा से क्रय की थी।

18. इस संबंध में वादी साक्षी **लखनलाल पटेल (वा.सा.3) ने** अपने मुख्य परीक्षण में आगे व्यक्त किया है कि वर्ष 1996 की स्थिति में जब मुन्नालाल द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया था उस समय वादग्रस्त भूमि के **उत्तर दिशा** में मुन्नी बाई पांडे का खेत, **दक्षिण दिशा** में राम जी का खेत, **पश्चिम दिशा** में आनंदीलाल का खेत, **पूर्व दिशा** में पाटन कटंगी रोड स्थित है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्थिति में **उत्तर दिशा** में खसरा नं. 251/2 की भूमि जो रोहित कुमार दुबे के नाम से है, **दक्षिण दिशा** में मनोज के नाम से अन्य भूमि, **पूर्व दिशा** में पाटन कटंगी मार्ग एवं **पश्चिम दिशा** में आनंदी यादव का खेत स्थित है। मनोज कुमार पटेल के कब्जे की स्थिति वर्ष 1996 में क्रय करने अनुसार एवं वर्ष 1978 में क्रय करने की स्थिति के अनुसार है।

19. इस संबंध में उक्त वादी साक्षी **लखनलाल पटेल(वा.सा.3)** ने आगे व्यक्त किया है कि वर्ष 2021 में रोहित कुमार दुबे ने अपनी भूमि खसरा नं. 251/2 का सीमांकन कराया था। उक्त सीमांकन में पाटन कटंगी मार्ग से लगकर रोहित कुमार दुबे की भूमि बता दी थी और अंदर तरफ मनोज कुमार पटेल की भूमि बता दी थी। उक्त सीमांकन के आधार पर तहसीलदार ने आदेश पारित किया था जिसका पालन नहीं हो पाया था। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया

था और उक्त आदेश में तहसीलदार को निर्देश दिया गया था कि कानून के विरूद्ध कोई आदेश पारित न करें। मनोज कुमार पटेल के कब्जे की स्थिति पूर्व की स्थिति अनुसार है। रोहित कुमार दुबे के कब्जे की स्थिति पूर्व की स्थिति के अनुसार ही है। मनोज कुमार पटेल एवं रोहित कुमार दुबे के कब्जे की स्थिति सीमांकन के पूर्व की स्थिति के अनुसार है। उसे उक्त सभी बातों की इसलिये जानकारी है कि वादी उसका भाई है तथा वह उनके सभी कागजात देखता है।

20. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब सीमांकन हुआ था तब वे मौके पर नही थे। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि नायब तहसीलदार के द्वारा जो बेकब्जा किए जाने का आदेश किया गया है उसको कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आज की तारीख में उनकी और रोहित के बीच में जमीन का कोई विवाद नही है।

21. इस संबंध में **प्रतिवादी साक्षी रोहित कुमार दुबे (प्र.सा.1)** ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह वादी मनोज पटेल को जानता है। वह उसके पड़ोसी किसान है। उसका मनोज पटेल से कोई विवाद नहीं है। उसने **सन् 2016** में जमीन खरीदी है और अपने भू–राजस्व अभिलेख के नक्शे के अनुसार वह उस जमीन पर खेती कर रहा था। **दिनांक 20.10.2020** को मनोज पटेल के भाई लखनलाल पटेल जब वह बोनी करने खेत पहुंचा तो वहां पर आए, उनका कहना था कि यहां उसका कुछ हिस्सा है उसमें वह मकान बनायेगा तो उसने लखनलाल पटेल का विरोध किया उसने कहा कि इतने वर्षो से अपने नक्शे पर ही वह खेती कर रहा है। वह राजस्व अभिलेख के नक्शे के आधार पर खेती कर रहा है। फिर उसने निर्णय लिया कि विवाद करने से अच्छा है कि वह पुलिस थाना पाटन में उनकी शिकायत की थी। पुलिस थाना पाटन में की गई शिकायत **प्र.डी.01** है, उसके द्वारा क्रय की गई जमीन का विक्रय पत्र **प्र.डी.02** है।

22. इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी **रोहित कुमार दुबे (प्र.सा.01)** ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसे निर्देशित किया कि आपका जमीनी विवाद है तो आप तहसील में जाकर सीमांकन करा लो तो वह उसी दिन तहसीलदार पाटन के समक्ष सीमांकन के लिये आवेदन किया जिसका सीमांकन वर्ष 2021 में तहसीलदार के आदेश में पटवारी एवं आर.आई. के द्वारा सीमांकन किया गया था। जब सीमांकन हो रहा था उसके खेत के चारो तरफ के किसान जिनका नाम लखनलाल पटेल, मनोज पटेल, भैयाजी पटेल और अन्य लोग उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर भी सीमांकन के दस्तावेज में है। सीमांकन होने के बाद आर.आई. के द्वारा बताया गया कि मनोज पटेल का कुछ हिस्सा उनके कब्जे में बताया और उसका कुछ हिस्सा मनोज पटेल के कब्जे में बताया था जो उन्होंने अपनी उपस्थिति में कब्जा दिला दिया था। एक हफ्ते के अंदर उसने अपने हिस्से की भूमि पर तहसीलदार व आर.आई. की उपस्थिति में फैंसिग करा ली थी। उसका वादी मनोज एवं उसके भाई लखनलाल से अब कोई विवाद नहीं है।

23. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुन्नी बाई पांडे जिस स्थिति में काबिज थी उसी स्थिति में मुन्नी बाई पांडे से क्रय दिनांक को कब्जा लिया था। साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मुन्नी बाई के द्वारा वर्ष 2016 में जैसा वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा उसे दिया था वह आज उसी अवस्था में कब्जे में है। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होने वर्ष 2016 में लिए कब्जे अनुसार वर्तमान में उनकी तार फैंसिंग है। साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि उन्होने आर.आई. पटवारी से किस भूमि का कब्जा लिया था और किससे लिया था तो साक्षी का कहना है कि वर्ष 2016 में सीमांकन नही हुआ था वर्ष 2021 में सीमांकन हुआ था। साक्षी से ऐसा पूछे जाने पर कि वर्ष 2021 में 13आरे के कब्जे में परिवर्तन हुआ था जो उन्हे दिलवाई गई थी तो साक्षी का कहना है कि हां हुआ था एवं उनकी

भूमि में 16आरे की भूमि मनोज पटेल अर्थात वादी की निकल रही थी तो उन्होने तत्काल प्रभाव से 16आरे की भूमि उनको सौंप दी।

24. साक्षी को सुझाव देने पर उसने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि वर्ष 2016 में 13आरे की भूमि पर मुन्नी बाई का कब्जा नही था। उनका कहना है सीमांकन वर्ष 2021 में हुआ था। सीमांकन के एक दिन पहले 13आरे भूमि पर उनका कब्जा था। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त 13आरे की भूमि पर वादी मनोज एवं उनके भाई लखन का कब्जा नही था। साक्षी से प्रश्न पूछा गया कि जब वादी का कब्जा ही नही था तो आपने सीमांकन क्यों कराया, साक्षी ने उत्तर दिया कि लखन पटेल अर्थात वादी के भाई ने उनसे कहा था कि जो 13आरे की भूमि है वह लखनलाल पटेल की है और वह उस भूमि पर निर्माण करेगें, इसीलिए उन्होने भूमि का सीमांकन कराया। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उन्होने मौखिक रूप से कहा था कब्जा नही किया था।

25. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि उन्हे इस तथ्य की जानकारी नही है कि सीमांकन **प्र.पी.14** का पंचनामा दिनांक 07.02.2021 में यह लेख है कि 0.13 हे. भूमि पर लखनलाल पटेल का प्रतिकूल कब्जा पाया गया। स्वतः कहा कि उन्हे उक्त पंचनामा प्र.पी.14 की भाषा समझ में नही आती, कब्जा उनका ही था। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **पश्चिम दिशा** तरफ खसरा नं. 252 वादी मनोज पटेल की भूमि स्थित है तथा **दक्षिण दिशा** में खसरा नं. 252 मनोज पटेल की भूमि स्थित है। साक्षी से यह पूछा गया कि खसरा नं. 252 की भूमि **पूर्व दिशा** में पाटन कंटगी रोड पर स्थित है, जिस पर साक्षी का उत्तर है कि 8फीट की भूमि रोड से लगकर स्थित है।

26. प्रकरण में स्वत्व का कोई विवाद नही है। प्रकरण में विवाद यह है कि **खसरा नं. 252 रकवा 0.40 हे.** पर नजरी नक्शा **अ. ब. स. द.** के

अनुसार वादी के पूर्वजों का और तत्पश्चात् वादी का स्वत्व है या नही। प्रतिवादी ने वादी के स्वत्व को स्वीकार किया है किंतु इस तथ्य से इंकार किया है कि **अ. ब. स. द.** भाग पर उनका स्वत्व है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि के **पूर्व दिशा** में वादी की 8फीट भूमि सड़क से लगी हुई हैं जिससे वह आना जाना करता है और उस पर प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। इस संबंध में **विक्रय पत्र प्र.पी.25–सी दिनांकित 24.05.1978** का अवलोकन किया। अवलोकन से दर्शित है कि वादी के पिता मुन्नालाल ने विक्रेता **परमलाल** से वादग्रस्त भूमि **खसरा नं. 252 रकवा 0.40 हे. क्रय** की थी जिसके साथ वादग्रस्त संपत्ति का कोई नक्शा संलग्न नही है, केवल इतना लिखा है कि खुशीराम के खेत से एवं आनंदी के खेत से लगा हुआ खेत बेचा। उक्त **विक्रय पत्र** में कोई स्पष्ट चतुरसीमा दर्शित नही है। विक्रय पत्र की अंतर्वस्तु पढ़ने पर भी चतुरसीमा दर्शित नही है और ऐसा नही लिखा है कि **पूर्व दिशा** में रोड स्थित है।

27. वादी के पिता मुन्नालाल के द्वारा यही संपत्ति बिना किसी परिवर्तन के उनके भाई सत्य प्रकाश को **विक्रय पत्र प्र.पी.09 दिनांक 25.04.1996** के माध्यम से **विक्रय** किया जाना दर्शित हो रहा है। उक्त विक्रय पत्र में चतुरसीमा **उत्तर** में मुन्नी बाई पांडे का खेत, **दक्षिण** में रामजी का खेत, **पश्चिम** में आनंदी का खेत एवं **पूर्व** तरफ सड़क होना दर्शित है। उक्त विक्रय पत्र के साथ भी कोई नक्शा संलग्न नही है। यदि प्र.पी.09 के दस्तावेज के हिसाब से मान भी लिया जाए कि वादग्रस्त भूमि के **पूर्व दिशा** तरफ सड़क है, तो यह स्पष्ट नही है कि वादग्रस्त भूमि का **कितना भाग पूर्व दिशा** तरफ सड़क से लगा है, चूंकि वाद वादी का है और वादी को अपना मामला साबित करना है। दोनों दस्तावेजों के माध्यम से वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति स्पष्ट नही हो रही है। **विक्रय पत्र प्र.पी.09** के दस्तावेज से यह तो दर्शित है कि वादी के पिता के भाई सत्य प्रकाश का वादग्रस्त संपत्ति के खसरे एवं रकवे पर स्वत्व था किंतु पश्चात् में उक्त सपंत्ति वादी के पिता मुन्नालाल को पारिवारिक

बटवारें में प्राप्त हुई और मुन्नालाल की मृत्यु के पश्चात् वादी मनोज पटेल (वा.सा.01) को प्राप्त हुई। इस संबंध में बटवारा संबंधी कोई साक्ष्य पेश नही की है।

28. वादी यह बताने में **असफल** रहा है कि सत्य प्रकाश के स्वत्व की संपत्ति उनको कैसे प्राप्त हुई। अतः यह **साबित नही** होता है कि वादग्रस्त भूमि मौजा छितुरहा नंबर 56 प.ह.नं. मादों रा.नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ. ब. स. द.** भाग जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया है, पर वादी का स्वत्व है। तदानुसार **वादप्रश्न कमांक 01** का उत्तर **नासाबित** के रूप में दिया जा रहा है।

–:: वादप्रश्न कमांक 2 ::–

29. अब इस संबंध में कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है। इस संबंध में वादी की ओर से आए मुख्य परीक्षण को देखे तो इस संबंध में **वादी मनोज पटेल(वा.सा.01)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नही किए है और प्रतिपरीक्षण में उन्होने यह व्यक्त किया है कि उनके हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी रोहित ने कब्जा कर लिया है जो पूर्व दिशा तरफ पाटन कंटगी रोड पर लगी हुई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण की जानकारी उनके भाई लखनलाल हो है उनको नही है। अतः उक्त साक्षी इस साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष नही निकाला जा रहा है। इस संबंध में **लखन लाल पटेल(वा.सा.03)** ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वादी मनोज कुमार पटेल के कब्जे की स्थिति वर्ष 1996 में कय करने के अनुसार एवं वर्ष 1978 में कय करने की स्थिति के अनुसार है। उक्त साक्षी के इस साक्ष्य के आधार पर देखें तो उक्त दोनों विकय पत्रों में कोई भी नक्शा भूमि का संलग्न नही है और वर्ष 1978 के विकय पत्र में तो चतुरसीमा भी स्पष्ट नही है।

30. इस संबंध में साक्षी **लखन लाल पटेल(वा.सा.03)** ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि खसरा नं. 251/2 का सीमांकन करने पर पाटन कंटगी मार्ग से लगी हुई 0.13आरे की भूमि **रोहित कुमार(प्र.सा.01)** की बता दी थी जिसके विरूद्ध अपील करने पर उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया था और तहसीलदार के आदेश का पालन नही हो पाया था। प्रकरण में नायब तहसीलदार का उक्त आदेश प्रस्तुत नही किया है। किंतु उक्त आदेश की अपील में पारित आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर **दिनांक 31.01.2021 प्र.पी. 19** को प्रस्तुत किया हैं। जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 22.02.2021 को कराए गए सीमांकन राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ–12/2020–21 में आदेश पारित किया था कि खसरा नं. 251/2 अर्थात प्रतिवादी की भूमि की अंश रकवा 0.13 हे. पर वादी के भाई लखनलाल (वा.सा. 03) का प्रतिकूल कब्जा बताया गया और खसरा नं. 252 जो कि वादी की वादग्रस्त भूमि है उसके अंश रकवे 0.16 हे. पर प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्जा बताया गया।

31. जिस पर अपर कलेक्टर के द्वारा आदेश किया गया कि तहसीलदार द्वारा जो कब्जा वापसी का जो आदेश किया है वो बिना अनावेदक/वादी को सुने किया है अतः उसे निरस्त किया गया। उक्त आदेश में की गई सीमांकन कार्यवाही के संबंध में कोई टिप्पणी नही की गई है, ना ही वादी के द्वारा सीमांकन कार्यवाही से व्यथित होकर अपर कलेक्टर के यहां अपील की थी। आज न्यायालय को यह देखना है कि वादग्रस्त संपत्ति पर नजरी नक्शे अनुसार **अ, ब, स, द भाग** पर वादी का वैद्य आधिपत्य है या नही। चूंकि वादप्रश्न क्रमांक 01 के आलोक में वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व साबित नही कर पाया है। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि उनके पिता और तत्पश्चात् उनके पिता के भाई सत्य प्रकाश के द्वारा क्रय करने पर तत्समय वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति क्या थी, इस संबंध में कोई भी नक्शा प्रस्तुत नही किया है। प्रकरण में ऐसा भी कोई मौका नक्शा नही है कि **वर्ष 1978** में

वादी के पिता मुन्नालाल के द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात् सीमांकन एवं नक्शा बटांकन की कार्यवाही कर अपनी भूमि की चतुरसीमा निर्धारित की हो, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वादग्रस्त भूमि पर नजरी नक्शा अनुसार **अ, ब, स, द** भाग ही **वादी** के पिता मुन्नालाल के द्वारा वर्ष 1978 में **क्रय** किया गया था।

32. वादी के द्वारा **प्र.पी.05** का नक्शा प्रस्तुत किया है। जो मूल खसरा नं. 271 का है जो वर्ष 1958—59 का है। जिसमें खसरा नं. 271 के **पूर्व दिशा** तरफ रोड होना दर्शित है। किंतु उक्त नक्शे से यह स्पष्ट नही होता कि वादी के पिता मुन्नालाल के द्वारा नजरी नक्शा अनुसार **अ. ब. स. द** भाग की **भूमि क्रय** की थी। **प्र.पी.08** वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 252 का नक्शा दिनांक 05.03.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन करने से दर्शित है कि **खसरा नं. 252** के **उत्तर दिशा** में प्रतिवादी की भूमि **खसरा नं. 251/2** है एवं वादग्रस्त भूमि के **दक्षिण दिशा** में खसरा नं. 357 है एवं वादग्रस्त भूमि के **पश्चिम दिशा** में खसरा नं. 253 है एवं वादग्रस्त भूमि के **दक्षिण पूर्व दिशा** में एक छोटा सा कोना सड़क से लगा हुआ दर्शित होता है। उक्त नक्शा मौका प्र.पी.08 की मौका स्थिति एवं नजरी नक्शे में लाल स्याही से **अ. ब. स. द भाग** से दर्शित मौके के स्थिति में बहुत भिन्नता है। नजरी नक्शे में अ, ब, स, द भाग वर्गाकार है और पूर्व दिशा में सड़क से लगी हुई भूमि काफी ज्यादा है, जबकि **प्र.पी.08** वादग्रस्त भूमि के नक्शे की प्रमाणित प्रति में खसरा नं. 252 में दर्शित रकवा त्रिभुजाकार है और दक्षिण पूर्व दिशा तरफ एक छोटा सा कोना रोड से लगा हुआ है। जिसके संबंध में प्रतिवादी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वादी की भूमि का दक्षिण **पूर्व दिशा** का छोटा सा कोना रोड से लगा हुआ है जिससे वह आवागमन करता है।

33. वादी की ओर से प्रस्तुत **प्र.पी.16 व 17** नक्शा फील्ड रिपोर्ट का अवलोकन किया, अवलोकन से दर्शित है कि वादी की भूमि खसरा नं. 252 एवं प्रतिवादी की भूमि खसरा नं. 251/2 आपस में लगी हुई है। वादग्रस्त भूमि के

उत्तर दिशा में प्रतिवादी की भूमि है। उक्त नक्शा फील्ड रिपोर्ट के अवलोकन करने से दर्शित है कि सीमांकन करने पर यह पाया गया कि वादी की भूमि खसरा नं. 252 का 0.16 हे. भाग पश्चिम तरफ गहराई वाले हिस्से में हैं और जिस पर प्रतिवादी का प्रतिकूल कब्ज पाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी की भूमि खसरा नं. 251/2 रकवा 0.13 हे. भाग जो कि पूर्व दिशा तरफ से सड़क से लगा हुआ है वादी के भाई लखनलाल के प्रतिकूल कब्जे में पाया गया है। अर्थात वादी के द्वारा खसरा नं. 251/2 रकवा 0.13 हे. जो कि पूर्व दिशा में सड़क तरफ से लगा था, जिस पर उसका प्रतिकूल कब्जा पाया गया। वह हिस्सा प्रतिवादी के स्वत्व का था।

34. इस संबंध में विक्रय पत्र **प्र.पी.23** की मूल प्रति दिनांक 02.06.2016 का अवलोकन किया। अवलोकन करने से दर्शित है कि कृषि भूमि खसरा नं. 251/2 रकवा 0.800 हे. प्रतिवादी रोहित के द्वारा विक्रेता मुन्नी बाई पांडे से क्रय किया गया था। उक्त विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे एवं प्र.पी.08 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र.पी.08** दिनांक 05.03.2021 के नक्शे का मिलान करने पर दोनों नक्शों में कोई भिन्नता नही है। वादी के द्वारा ऐसा कोई राजस्व नक्शा प्रस्तुत नही किया है जिससे दर्शित हो कि वादग्रस्त भूमि पर नजरी नक्शा अनुसार अ, ब, स, द भाग पर वादी का वैद्य आधिपत्य है। वादी के मौखिक साक्ष्य का खंडन उपरोक्त सभी राजस्व नक्शों एवं नक्शा फील्ड रिपोर्ट से होता है कि वादी का जो पूर्व दिशा तरफ का कब्जा प्रतिकूल होकर प्रतिवादी के स्वत्व का है। वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व नक्शा गलत है किंतु यदि वादी उपरोक्त नक्शे से व्यथित है तो वह विधिवत नक्शा सुधरवाने की कार्यवाही कर सकता था और आपत्ति कर सकता था किंतु अभिलेख पर ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य नही है कि वादी ने नक्शा सुधरवाने की कार्यवाही की और ना ही अभिलेख पर ऐसे कोई राजस्व दस्तावेज मौजूद है जिनसे दर्शित हो कि वादी ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की थी। अतः उपरोक्त आलोक में यह साबित नही होता कि वादी का वादग्रस्त

भूमि मौजा छितुरहा नंबर 56 प.ह.नं. मादों रा.नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ. ब. स. द** भाग जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया है, पर वादी का स्वत्व है। तदानुसार **वादप्रश्न कमांक 02** का उत्तर **नासाबित** के रूप में दिया जा रहा है।

–:: वादप्रश्न कमांक 3 ::–

35. चूंकि वादप्रश्न कमांक 1 व 2 के आलोक में वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व एवं वैद्य आधिपत्य साबित करने में असफल रहा है तो स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का **न्यायदृष्टांत झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड वि0 दीदार सिंह (2019) 17 एस.सी.सी. 619** में पुनः प्रतिपादित किया गया है कि जब वादी का स्वत्व ही विवादित है और प्रमाणित नही हुआ है तब केवल निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः उपरोक्त आलोक में **वादप्रश्न कमांक 3** का उत्तर **नासाबित** के रूप में दिया जा रहा है।

–:: सहायता एवं व्यय ::–

36. उपरोक्त विवेचना तथा वादप्रश्न कमांक 1 लगायत 3 से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी अपना मामला संभावना के प्रबलता के स्तर पर प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि वादी का मौजा छितुरहा नंबर 56 प.ह.नं. मादों रा.नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ. ब. स. द** भाग जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया है, भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य है। अतः वादी का वाद **अस्वीकार** कर इस आदेश की आज्ञप्ति पारित की जाती है कि :–

1. वादी का वादग्रस्त भूमि मौजा छितुरहा नंबर 56 प.ह.नं. मादों रा. नि.म. कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर. **252** रकबा **0.40** हेक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा **अ. ब. स. द** भाग जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया है, भूमि पर स्वत्व व वैद्य आधिपत्य नही है।
2. उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 526 के अनुसार अथवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, जो भी कम हो वाद व्यय में जोड़ा जावें।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति निर्मित की जावें।

मेरे श्रुतलेख पर टंकित किया गया।

दिनांक–02.07.2026
स्थान–पाटन, जबलपुर

(मयूरी गुप्ता)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड,
तह. पाटन जिला जबलपुर म0प्र0

MAYURI GUPTA
Digitally signed by MAYURI GUPTA
Date: 2026.07.02 16:21:18 +0530